न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री महावीर प्रसाद नायक आर ए एस)

प्रकरण संख्या 73/2019 प्रार्थनापत्र एलआर

अनवान

1 श्री रतनलाल पिता घीसा जाट उम्र वयस्क निवासी लाम्बियाकंला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

.... **प्रार्थी**

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..........**विपक्षी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री मुरारी जोशी वकील प्रार्थी**
विपक्षी राज्यपक्ष पेरोकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक 26.12.2019

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम लाम्बियाकंला पटवार हल्का क्षैत्र लाम्बियाकंला तहसील बनेडा की खतौनी संख्या 206 के आराजी संख्या 1647 रकबा 00–03 बीघा किस्म गै.मु. चाह दर्ज राजस्व रेकार्ड चली आ रही है। सर्वप्रथम जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 में प्रार्थी के दादा श्री रामा पिता नाराण जाट का इस विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था, श्री रामा पिता नारायण जाट के तीन जाईन्दा पुत्र उगमा, मगना व प्रार्थी के पिता श्री घीसु जाट हुए। प्रार्थी के पिता की मृत्यु दादा श्री रामा जाट से पूर्व ही हो चुकी थी। प्रार्थी के दादा श्री रामा जाट की मृत्युपरान्त खुली विरासत में उनके जाईन्दा तीनों पुत्र श्री उगमा, मगना, व प्रार्थी नाम नामान्तरकरण संख्या 399 से ईन्द्राज किया गया। किन्तु प्रथम रोटेशन जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवश प्रार्थी का नाम दर्ज नही कर, केवल मात्र उगमा व मगना जाट के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर दिये गये। उक्त लिपिकीय त्रुटी आजदिनांक तक अनव्रत जारी है जिसे संशोधन की आज्ञा प्रदान की जावें।

अतः ग्राम लाम्बियाकंला पटवार हल्का क्षैत्र लाम्बियाकंला तहसील बनेडा की खतौनी संख्या 206 के आराजी संख्या 1647 रकबा 00–03 बीघा भूमि किस्म गै.मु. चाह के राजस्व रेकार्ड में उगमा, मगना पिता रामा जाट के साथ साथ 1/3 हक हिस्से में प्रार्थी का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज कर दुरूस्तीकरण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 01.04.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई। विपक्षी को जारी सम्मन/नोटीस विधिवत तामील होकर रेकार्ड पर उपलब्ध है, विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा की और से प्रार्थनापत्र में ईकबालिया जवाब प्रस्तुत होकर रिकार्ड पर उपलब्ध है। प्रार्थी के नियुक्त अधिवक्ता द्वारा मामले में एकपक्षीय बहस प्रस्तुत की गई। प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत दस्तावेजी पर अध्ययन व प्रस्तुत बहस पर मनन पश्चात प्रार्थी का प्रा.पत्र न्याय हित में स्वीकार योग्य है प्रतीत होता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बनेडा को निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम लाम्बियाकंला पटवार हल्का क्षैत्र लाम्बियाकंला तहसील बनेडा की खतौनी संख्या 206 के आराजी संख्या 1647 रकबा 00–03 बीघा भूमि किस्म गै.मु. चाह के राजस्व रेकार्ड में उगमा, मगना पिता रामा जाट के साथ साथ 1/3 हक हिस्से में प्रार्थी का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज कर दुरूस्तीकरण किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 26.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद नायक)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

कमांक/प्रा.पत्र. एलआर /प्र.स. 73/2019 **दिनांक 26.12.2019**

प्रतिलिपि –

तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि माफिक आदेश के राजस्व अभिलेखों में पालना की जाकर मय पालना रिपोर्ट के नकल जमाबंदी सहित 30 दिन की समयावधि में प्रस्तुत करने की सुनिश्चिता करें।

(महावीर प्रसाद नायक)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा